संख्या- 2/2017/1306 /एक-9-2017-रा0-9

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2017**

विषय- उ0प्र0 खातेदार /सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-52 में बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आर-1305/16-99जी/2017 दिनांक 08 अगस्त, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना हेतु अनुदान संख्या-52 लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम -110-अन्य बीमा योजनाएं-05-प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में अनाच्छादित अवधि के दावों का भुगतान -42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 14000.00 लाख में (रू0 चौदह हजार लाख मात्र) में से पूर्व में (प्रथम पांच माहों के लिए) लेखानुदान के माध्यम से निर्गत धनराशि रू0 5833.00 लाख (रू0 पांच लाख आठ सौ तैतीस लाख मात्र) की धनराशि घटाते हुए अवशेष रू0 81,67, 00,00/- (रूपये इक्सासी करोड़ सरसठ लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल /फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो, ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का भी विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित व्यक्गित दुर्घटना बीमा योजना में अनाच्छादित अवधि के दावों के भुगतान हेतु किया जायेगा तथा दावों के भुगतान की सूचना नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्राविधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0वी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 1306(1)/एक-9-2017 तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

5- मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ।

6- राजस्व अनुभाग-6

आज्ञा से,

(आर0 वी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।